



Neutral Citation No.- 2026:AHC:1477

एफआर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 18923 वर्ष 2025

श्रीमती रीना

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के वकील
प्रतिवादी के वकील

: ग्रीजेश तिवारी
: अजय कुमार यादव, सीएससी, शशि
प्रकाश सिंह, शिव बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 52

माननीय श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ग्रीजेश तिवारी, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री शशि प्रकाश सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं। डॉ. शिव बहादुर सिंह ने कानूनी मामलों पर न्यायालय की सहायता की।

2. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ, यानी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 12.11.2025 के विवादित बर्खास्तगी आदेश (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 1) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"

2. प्रतिवादियों को यह आदेश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ द्वारा पारित दिनांक 12.11.2025 के विवादित आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

3. याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने और सहायक शिक्षक के रूप में उसके शांतिपूर्ण कामकाज में हस्तक्षेप न करने तथा उसे नियमित रूप से मासिक वेतन का भुगतान करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश/निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करें।
5. याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान की जाए।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता का चयन और नियुक्ति 07.11.2015 को एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में हुई थी। इसके बाद, रामप्रवेश राजभर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अरविंद यादव से विवाह किया था, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी थी, उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा (शिक्षक सेवा) नियम, 1981 (जिसे आगे "नियम, 1981" कहा गया है) के नियम 12 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए विवादित आदेश पारित किया गया है, जो मनमाना, अवैध और अनुचित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि विवादित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ कानून के अनुसार आवश्यक विस्तृत अनुशासनात्मक जाँच किए बिना समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अरविंद यादव की पहली पत्नी उस समय जीवित थीं जब याचिकाकर्ता ने उनसे विवाह किया था। यदि 1981 के नियम लागू भी हों, तो भी कथित आरोप उक्त नियमों के तहत बर्खास्तगी को एक गंभीर दंड के रूप में निर्धारित नहीं करता है। अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बलराम पंवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश) और अन्य के मामले में इस न्यायालय की लखनऊ बेंच की डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया है।¹, साथ ही रिट याचिका संख्या 11264/2024 में दिनांक 05.11.2024 को पारित अंतरिम आदेश भी।² अतः, उपरोक्त कारणों से, विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

5. प्रतिवादियों के विद्वान वकील उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। हालांकि, उन्होंने यह तर्क दिया कि नियम 1981 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार, हालांकि बर्खास्तगी आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, लेकिन याचिकाकर्ता की नियुक्ति इस आधार पर कि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी पहली पत्नी संबंधित समय पर जीवित थी रद्द की जा सकती थी।

1 रिट याचिका संख्या 5111 वर्ष 2022, दिनांक 18.09.2024 को निर्णय लिया गया

2 घनश्याम दास यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

6. विद्वान वकील डॉ. एस.बी. सिंह ने न्यायालय की सहायता करते हुए, खुशीद अहमद खान

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी आचरण नियम, 1956 के नियम 29 की प्रयोज्यता पर विचार किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त के मद्देनजर, 1981 के नियमों का नियम 12 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है और याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रारंभ से ही अमान्य है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्राप्त की गई थी, अर्थात् याचिकाकर्ता ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसका पहला विवाह उस समय भी वैध था। उन्होंने उपरोक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 पर जोर दिया है, जो इस प्रकार है:-

11. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता के खिलाफ इस आरोप के समर्थन में रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि उसने पहले विवाह के दौरान दूसरा विवाह किया था। यह स्वीकार किया जाता है कि रिकॉर्ड में किसी भी रूप में यह सूचना नहीं है कि अपीलकर्ता ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। सेवा रिकॉर्ड में उसे अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में ही दर्ज किया गया है। इसके अलावा, उसने जांच कार्यवाही में बयान दिया है कि वह अपीलकर्ता की पत्नी बनी रही। अपीलकर्ता ने मानवाधिकार आयोग के निर्देशों पर की गई जांच में भी स्वीकार किया कि उसका पहला विवाह जारी था। इन परिस्थितियों में, आचरण नियमों के उल्लंघन का निष्कर्ष अनुचित या तर्कहीन नहीं माना जा सकता है जिससे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का यह निर्णय उचित था कि स्थापित न्यायिक मापदंडों के आधार पर बर्खास्तगी की सजा को आरोप के अनुपात में अत्यधिक अनुचित नहीं माना जा सकता है।

7. मामले के गुण-दोष पर चर्चा करने से पहले, मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक कुछ प्रावधानों को रिकॉर्ड में दर्ज करना उचित होगा।

8. उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के आचरण नियम, 1956 का नियम 3 इस प्रकार है:-

"3. सामान्य.

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता बनाए रखनी चाहिए।

3 (2015) 8 एससीसी 439

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर समय सरकार के उन विशिष्ट या निहित आदेशों के अनुसार आचरण करना चाहिए जो व्यवहार और

आचरण को विनियमित करते हों और जो लागू हों।

9. उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के आचरण नियम, 1956 का नियम 29 इस प्रकार है:-

29. द्विविवाह।

- (1) जिस सरकारी कर्मचारी की पत्नी जीवित है, वह सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता, भले ही ऐसा दूसरा विवाह उस समय लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय हो।
- (2) कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जिसकी पत्नी जीवित हो।
- (3) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के उल्लंघन के लिए दी जाने वाली न्यूनतम सजा तीन वर्ष के लिए वेतन वृद्धि को रोकना होगी।

10. उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 6 इस प्रकार है:-

6. बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

- (1) इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम होने के उद्देश्य से, बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, जितने अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उचित समझे, उतनी संख्या में नियुक्त कर सकता है।
- (2) [* * *] [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1978 (27.4.1978 से प्रभावी) द्वारा हटा दिया गया।]
- (3) [* * *] [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1975 (3.5.1975 से प्रभावी) द्वारा हटा दिया गया।]

11. उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 इस प्रकार है:-

19. नियम बनाने की शक्ति।

- [(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात् -
 - (a) धारा 6 के अंतर्गत अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें;
 - (b) धारा 9 के अंतर्गत बोर्ड को हस्तांतरित किए गए अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा अवधि, पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम;
 - (c) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों और

अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें;

- (d) कोई अन्य मामला जिसके लिए अधिनियम में अपर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं और राज्य सरकार द्वारा नियमों में प्रावधान को आवश्यक समझा जाता है;
- (e) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

12. उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम, 1981 का नियम 12 इस प्रकार है:-

"12. वैवाहिक स्थिति.

- जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या जिस महिला उम्मीदवार ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। बशर्ते कि यदि बोर्ड को यह विश्वास हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष आधार मौजूद है, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकता है।

13. उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1956 के नियम 3 और नियम 29 के प्रासंगिक भाग की सीधी और शाब्दिक व्याख्या से यह स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत परिकल्पित दुराचार, जिसे उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 द्वारा दंडनीय बनाया गया है, केवल "सरकारी कर्मचारी" पर लागू होता है, अर्थात्, वह व्यक्ति जो पहले से ही कैडर में है और सरकारी सेवा में है। उक्त नियम किसी व्यक्ति के सेवा में प्रवेश से पहले उस पर लागू नहीं होते हैं।

14. 1999 के नियमों के तहत अनुशासनात्मक अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध विद्यमान हो। ऐसे संबंध के अभाव में, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना या दंड लगाना पूरी तरह से कानून के अधिकार के विरुद्ध और अस्थिर होगा।

15. सेवा संबंधी न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि आचरण नियम भावी रूप से लागू होते हैं और किसी सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, न कि उससे पहले। स्वामी-सेवक संबंध के अस्तित्व से इतर कोई भी कार्रवाई मनमानी होगी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगी।

16. उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 6 और धारा 19 को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है कि शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से बोर्ड का गठन किया गया है। उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने 1972 के अधिनियम की धारा 19 के तहत तदनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियम, 1981 बनाए हैं।

17. 1981 के नियमों का नियम 12 किसी उम्मीदवार की वैवाहिक स्थिति से संबंधित है और

इसमें निर्दिष्ट आधारों पर किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित किया गया है। हालांकि, यह नियम बोर्ड को इस प्रावधान के संचालन से छूट देने का अधिकार भी देता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति के पक्ष में विशेष आधार मौजूद हैं।

18. वर्तमान मामले के तथ्यों में यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने अरविंद यादव से वर्ष 2009 में विवाह किया था, जबकि उनका पहले से ही किसी अन्य महिला से विवाह कायम था। हालांकि, याचिकाकर्ता को सहायक शिक्षक के पद पर वर्ष 2015 में ही नियुक्त किया गया था।

19. उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1956 का नियम 29 सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान उसके आचरण पर लागू होता है। सरकारी सेवा में प्रवेश करने से पहले घटित कार्य या चूक उक्त नियम के दायरे में नहीं आते हैं। चूंकि कथित वैवाहिक अनियमितता वर्ष 2009 से संबंधित है, यानी याचिकाकर्ता की 2015 में नियुक्ति से बहुत पहले की है, इसलिए आचरण नियम, 1956 के नियम 29 के प्रावधान याचिकाकर्ता के मामले पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं होते हैं।

20. इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आचरण नियम, 1956 के नियम 29 का हवाला देते हुए, उसके सरकारी सेवा में प्रवेश करने से पहले घटी किसी घटना के आधार पर की जाने वाली कोई भी कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर है और उसे मान्य नहीं किया जा सकता है।

21. अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1956 के नियम 3 और नियम 29 से यह स्पष्ट होता है कि ये प्रावधान सरकारी कर्मचारी के आचरण को नियंत्रित करते हैं। नियम 3 की शुरुआत "प्रत्येक सरकारी कर्मचारी" अभिव्यक्ति से होती है, जबकि नियम 29 स्पष्ट रूप से "कोई भी सरकारी कर्मचारी" शब्दों से शुरू नहीं होता है। इस वाक्यांश का जानबूझकर और लगातार उपयोग किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को नहीं छोड़ता है। मुझे संदेह है कि ये नियम उन व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं।

22. इसलिए, आचरण नियम, 1956 का दायरा केवल सरकारी सेवा में प्रवेश कर चुके व्यक्तियों तक ही सीमित है, और नियुक्ति से पूर्व किसी व्यक्ति के विरुद्ध उक्त नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। उम्मीदवारों या सेवा में अभी तक शामिल न हुए व्यक्तियों पर भी इन नियमों को लागू करने वाली कोई भी व्याख्या नियमों की स्पष्ट भाषा और विधि निर्माण के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगी।

23. फिर भी, वर्तमान मामले के तथ्यों में विचारणीय मुद्दा आचरण नियम, 1956 की प्रयोज्यता नहीं है, बल्कि वैवाहिक स्थिति के संबंध में उम्मीदवार की पात्रता है, जैसा कि 1981 के नियमों के नियम 12 के तहत निर्धारित है। नियुक्ति के लिए पात्रता इसी वैधानिक प्रावधान द्वारा निर्धारित होती है और इसलिए, वर्तमान तथ्यों के संदर्भ में केवल इसी की जांच करना आवश्यक है।

24. तदनुसार, विवाद का निर्धारण 1981 के नियमों के तहत याचिकाकर्ता की पात्रता के आकलन पर आधारित होना चाहिए, न कि आचरण नियमों, 1956 के किसी कथित उल्लंघन

पर, जो किसी व्यक्ति के सरकारी सेवा में प्रवेश करने के बाद ही लागू होते हैं।

25. वर्तमान मामले की जांच उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स, 1981 के नियम 12 की प्रयोज्यता के संदर्भ में की जानी आवश्यक है। निर्णायक मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र थी, जबकि उसने वर्ष 2009 में ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसका पहला विवाह उस समय वैध था। परिणामस्वरूप, विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि इसके परिणामस्वरूप क्या परिणाम या दंड हो सकता है, और वह वैधानिक प्रावधान क्या है जिसके तहत ऐसी कार्रवाई अनुमेय है।

26. अतः, वर्तमान मामले की जांच मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियम, 1981 के नियम 12 के संदर्भ में की जानी चाहिए, जो प्रारंभिक स्तर पर उम्मीदवार की पात्रता को नियंत्रित करता है। नियम 12 नियुक्ति पर वैधानिक रोक लगाता है यदि किसी उम्मीदवार ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका जीवनसाथी जीवित हो, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष आधारों पर छूट न दी जाए।

27. वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2009 में ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसका पहले से ही विवाह उस समय वैध था। इसलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न सेवाकाल के दौरान कदाचार का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या याचिकाकर्ता सहायक शिक्षिका के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र थी।

28. (i) नियुक्ति की शुरुआत में अपात्रता; (ii) सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा में प्रवेश करने के बाद किया गया दुराचार - इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए।

29. 1981 के नियमों का नियम 12 किसी दंड का प्रावधान नहीं करता है। यह केवल पात्रता की शर्त निर्धारित करता है। यदि ऐसी शर्त का उल्लंघन होता है, तो नियुक्ति स्वतः ही अमान्य हो जाती है, क्योंकि यह वैधानिक नियमों के उल्लंघन में की गई है।

30. दूसरी ओर, दंडात्मक प्रावधान, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1956 या अनुशासन एवं अपील नियम, 1999 में निहित प्रावधान, केवल वैध रूप से नियुक्त और कानून की दृष्टि में सरकारी कर्मचारी माने जाने वाले व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं। इन प्रावधानों का प्रयोग किसी ऐसे कार्य के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो उसे नियुक्ति के लिए ही अयोग्य बना देता है।

31. जहां नियुक्ति 1981 के नियमों के नियम 12 का उल्लंघन पाई जाती है: इसका परिणाम नियुक्ति रद्द करना होता है, न कि दंड और ऐसे मामले में, किसी विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मुद्दा कदाचार नहीं बल्कि वैधानिक पात्रता की कमी है।

32. आचरण नियम, 1956 के तहत दंड लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उन नियमों में सेवा में वैध प्रवेश को पूर्वधारणा के रूप में लिया गया है।

33. इसे और स्पष्ट करने के लिए, 1981 के नियमों का नियम 12 नियुक्ति के लिए पात्रता के चरण में उम्मीदवार की वैवाहिक स्थिति से संबंधित एक शर्त निर्धारित करता है। उक्त प्रावधान न तो किसी कार्य को कदाचार के रूप में परिभाषित करता है और न ही इसके उल्लंघन के

लिए कोई दंड निर्धारित करता है। यह सर्वविदित है कि सेवा में प्रवेश को नियंत्रित करने वाली पात्रता शर्तें नियुक्ति के बाद आचरण को विनियमित करने वाले नियमों से भिन्न होती हैं।

34. दंड तभी लगाया जा सकता है जब कोई कृत्य लागू आचरण नियमों, अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1956 और उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के अंतर्गत परिभाषित कदाचार के दायरे में आता हो। पात्रता को नियंत्रित करने वाला कोई नियम, स्वयं ही, दंडात्मक प्रावधान का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि कानून में स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान न हो।

35. इसके अलावा, नियम 12 स्वयं सक्षम प्राधिकारी को विशेष आधारों पर छूट देने का अधिकार देता है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह प्रावधान निर्देशात्मक प्रकृति का है और दंडात्मक नहीं है। छूट देने की शक्ति वाले प्रावधान को सामान्यतः अपराध या दुराचार उत्पन्न करने वाला नहीं माना जा सकता।

36. नियम 12 के उल्लंघन से नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है और इस पर न्यायिक निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन अनुशासनात्मक दंड तभी लागू होगा जब नियुक्ति धोखाधड़ी, महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने या जानबूझकर गलत जानकारी देने के माध्यम से प्राप्त की गई हो। ऐसे तत्वों के अभाव में, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा।

37. सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि पात्रता शर्तों का उल्लंघन नियुक्ति की वैधता से संबंधित है, न कि कदाचार से, जब तक कि इसमें धोखाधड़ी या छल शामिल न हो।

38. यह सर्वमान्य नियम है कि जब तक शिकायत में उल्लिखित कृत्य सेवा नियमों के अंतर्गत कदाचार न हो, तब तक कोई दंड नहीं लगाया जा सकता। यदि नियुक्ति गलत जानकारी देकर या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई हो, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है; अन्यथा नहीं। नियमों में ढील देने की शक्ति का प्रावधान यह दर्शाता है कि नियम दंडात्मक नहीं है।

39. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2009 में ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसका पहला विवाह पहले से ही वैध था, जिसके कारण वह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियम, 1981 के नियम 12 के तहत नियुक्ति के लिए अपात्र हो गई। यह दोष नियुक्ति के मूल आधार को ही चुनौती देता है और इसे प्रारंभ से ही अमान्य घोषित करता है। यह मामला आचरण नियमों या अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत दंडनीय कदाचार से संबंधित नहीं है, बल्कि नियुक्ति के समय से ही मौजूद वैधानिक अयोग्यता से संबंधित है।

40. उपरोक्त के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 12.11.2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। मामले को प्रतिवादी संख्या 3, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, मऊ को वापस भेजा जाता है, ताकि वे याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, संबंधित वैधानिक प्रावधानों और न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो कानून के अनुसार एक नया तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करें।

41. याचिका को तदनुसार स्वीकार किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्यायमूर्ति)

6 जनवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.